



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

संजय भा. गवई
Sanjay B. Gawai
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-230902

फैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक: 26/2013/रा.गा.फे./94/632

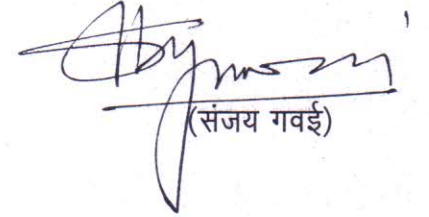
दिनांक: 27. 11. 2014

कार्यालयादेश

कनिष्ठ शोधवृत्ति का प्रोन्नयन कर वरिष्ठ शोधवृत्ति करने के लिये कनिष्ठ शोधवृत्ति की दो वर्ष की अवधि के दौरान शोधार्थी द्वारा किये गये शोधकार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु परिपत्र सं. 010/2010/RGNJRF/47/367 दिनांक 14. 08. 2013 द्वारा लागू व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

कनिष्ठ शोधवृत्ति से वरिष्ठ शोधवृत्ति में प्रोन्नयन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।



(संजय गवई)

प्रतिलिपि:

1. सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र
2. परीक्षा विभाग
3. वित्त विभाग
4. अकादमिक विभाग
5. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
6. कार्यालय प्रति/संबंधित फ़ाइल